IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक,
आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर
E-Mail Address :- emoy1knp@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक / सं0प्र0 / दिनांक

कार्यालय आदेश

GH-2

परिषद की अम्बेडकरपुरम योजना सं0 3, कानपुर में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जीएच–2 इस कार्यालय के मत्र संख्या 15574 दिनांक 27.12.2006 द्वारा मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि0 के पक्ष में आवंटित किया गया था। संस्था द्वारा उक्त भूखण्ड का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात परिषद से दि0 08.07.2013 को रजिस्ट्री निष्पादित कराकर दिनांक 08.07.2013 को सब रजिस्ट्रार कानपुर से पंजीकृत कराते हुए दिनांक 12.09.2016 को फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री वीर सिंह पुण्डीर के हस्ताक्षरों से मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा के पक्ष में दिनांक 28.04.2017 को विक्रय कर दिया। तदोपरान्त श्री प्रवीन कुमार मिश्रा द्वारा उक्त भूखण्ड के नामान्तरण हेतु निम्नलिखित औपचारिकताओं की पूर्ति की गयी हैः–

1 विक्रेता/क्रेता का संयुक्त रूप से आवेदन–पत्र।
2 विक्रेता/क्रेता की प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर।
3 विक्रेता/क्रेता के रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
4 अन्तरण शुल्क 1 प्रतिशत रू0 1628000.00 दि0 27.08.2018 तथा जी0एस0टी0 मद में रू0 293100.00 दि0 27.08.2018 को आन्ध्रा बैंक, कानपुर में जमा किया गया।
5 विक्रेता/क्रेता की प्रमाणित रजिस्ट्री की छाया प्रतियाँ।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जीएच–2 मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि0 से विकयोपरान्त मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा के पक्ष में करते हुए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम 1979 यथा संशोधित जून 1986 के नियम 42 यथा संशोधित 16 जुलाई 2016 के नियम 54 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्‌द्वारा अन्तरित करने के आदेश इस शर्त के अधीन दिये जाते हैं कि यदि भविष्य में प्रस्तुत प्रपत्रों/तथ्यों में कोई प्रपत्र/तथ्य मिथ्या पाया जाता है तो किया गया अन्तरण निर्गत तिथि से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा विधि सम्मत कार्यवाही भी की जायेगी एवं सम्पत्ति का विभाजन मान्य न होगा।

शेष नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(केशव राम)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ0सं0 2089 / / दिनांकः 11.9.18

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 मेसर्स अग्रवाल एसोशियेट्स प्रमोटर्स लि0, अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीर सिंह पुण्डीर पुत्र श्री कुन्दन सिंह पुण्डीर, 10 न्यू राजधानी इन्क्लेव विकास मार्ग, दिल्ली।
2 मेसर्स गीतिका बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर प्रवीन कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 प्रेम शंकर मिश्रा, 117/एच–1/383 प्रथम तल अस्थाना टावर पाण्डु नगर निवासी 312 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर।
3 अधिशासी अभियन्ता नि0खं0–17/20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

सम्पत्ति प्रबन्धक

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–17

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आफिस काम्पलेक्स, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

"आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था"

ISO 9001 ISO:9001:2000 UKAS

भवन/भूखण्ड का भौतिक कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

शहर का नाम – कानपुर योजना का नाम – अम्बेडकरपुरम 03 भवन/भूखण्ड सं० ग्रुप हाउसिंग भू० सं० GH-2 टाइप भूखण्ड

डिजाइन आवंटी का नाम एवं पता श्री आशीष अग्रवाल डायरेक्टर मै० अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमो०) लि०, 10 न्यू राजधानी इन्क्लेव विकास मार्ग, दिल्ली 110092

सम्पत्ति प्रबन्धक कानपुर के पत्रांक 2498/EMO/KNI/GH-2 दिनांक 10-7-13 के सन्दर्भ में उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा सम्बन्धित आवंटी को आज दिनांक 18/7/13 को पीछे अंकित इन्वेन्ट्री में दिये गये विवरण के अनुसार हस्तांतरित किया जा रहा है। उक्त भवन/भूखण्ड की माप एवं क्षेत्रफल निम्नवत् है।

भूखण्ड का क्षेत्रफल	6384 वर्ग मी०
भूखण्ड के सामने की माप	79.80 मी०
भूखण्ड के पीछे की माप	79.80 मी०
भूखण्ड के बायें किनारे की माप	80.00 मी०
भूखण्ड के दायें किनारे की माप	80.00 मी०

उपरोक्त विवरण का स्थल सत्यापन करते हुए भूखण्ड / भवन संख्या ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० GH-2 के भौतिक कब्जे का हस्तान्तरण किया गया।

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD

परिषद की ओर से कब्जा हस्तान्तरित किया गया कब्जा प्राप्त किया

AUTHORIZED SIGNATORY

18/7/13

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

अवर अभियन्ता का नाम आवंटी का नाम श्री/श्रीमती आशीष अग्रवाल डायरेक्टर

पता मै० अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमो०) लि० 10 न्यू राजधानी इन्क्लेव, विकास मार्ग दिल्ली-110092

आवंटी की टिप्पणी यदि कोई हो

प्रति हस्ताक्षरित

18/7/13

सहायक अभियन्ता

पृ.सं. / / दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स यो.सं.-1, कल्यानपुर, कानपुर।
2. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, कानपुर।
3. सम्बन्धित आवंटी
4. सम्बन्धित अवर अभियन्ता।

अधिशासी अभियन्ता

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(सम्पत्ति प्रबन्ध)
आफिस काम्पलेक्स, केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर
फोन नं० 2573518

ISO 9001 : 2000 UKAS

पंजीकृत

पत्रांक 5574 सं० प्र०/कानपुर/ दिनांक 27/12/06

सेवा में,

मे0 अग्रवाल एसोशिएट्स (प्रमो0) लि0
भारत भवन
10, न्यू राजधानी इनक्लेव, विकास मार्ग
दिल्ली 110092

विषयः परिषद की योजना संख्या-3, (अम्बेडकरपुरम) में विकसित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0 - 2 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि दिनांक 19.10.06 को हुई नीलामी में आपके द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- जी0एच0-2 के विरूद्ध लगाई गयी उच्चतम बोली रूपये, 7083/= प्रति वर्गमीटर स्वीकार कर ली गयी है । यह प्रदेशन-पत्र आपको परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किया गयाहै । कृपया प्रदिष्ट सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए वांछित धनराशि निर्दिष्ट बैंक में जमा करने की व्यवस्था करें, धनराशि जमा करने का आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक विलेखों का निष्पादन कर उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लें आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का विवरण निम्नवत है:-

1. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल- 6384.00 वर्गमी0
2. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का मूल्य रूपये, 45217872.00 (फ्री होल्ड शुल्क सहित)
3. उच्चतम बोली का 10% धनराशि रूपये,4521788.00 के विरूद्ध जमा धनराशि रूपये, 4500000.00
4. दिनांक 31.3.07 तक देय उच्चतम बोली 45217872.00 का 10% धनराशि (अवशेष 10% धनराशि) रू0, 4543576.00
5. दिनांक 30.6.07 तक उच्चतम बोली रूपये, 45217872.00 का 10% धनराशि रूपये,4521788.00
6. दिनांक 30.9.07 तक उच्चतम बोली रूपये, 45217872.00का 20% धनराशि रूपये,9043575.00

अवशेष धनराशि रूपये, 22608936.00 पर 18% ब्याज लगाकर 72 मासिक किश्तों में देय होगी प्रत्येक किश्त की धनराशि रूपये,515710.00 प्रतिमाह जो दिनांक1.10.07 से लागू है ।

8. विलेख निष्पादन व्यय रूपये, 400/= दिनांक 30.9.07 जमा करना है ।

नोटः- 1. क्रमांक 4,5,6,7,एवं 8 की धनराशि ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स विस्तार पटल योजना संख्या-1, कल्याणपुर कानपुर में निर्धारित तिथि तक जमा करनी है ।

2. भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने हेतु परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप॰ संलग्न॰ पर फोटो युक्त , हस्ताक्षरित, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर, रूपये, 100/= का सादा स्टाम्प पेपर एवं तद समय शासन द्वारा स्टाम्प इयूटी के अनुरूप लागू स्टाम्प पेपर डीड टंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

3. उच्चतम बोली के अनुरूप भूखण्ड के मूल्य का 50% धनराशि जमा करने के उपरान्त कब्जा प्रदान किया जायेगा ।

4. किसी भी देय धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 24% की दर से दण्ड ब्याज देय होगा ।

5. दिनांक 31.10.07 तक देय धनराशि एवं वांछित औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर दिनांक 1.11.07 से रूपये, 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।

भवदीय

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त